न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश बाड़ी, जिला धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : नीरज कुमार, आर०जे०एस० (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौज० निगरानी (सी०आई०एस०) संख्या : 20/2022

01. श्रीनिवास पुत्र बुद्धाराम

02. मुन्नीदेवी पत्नी श्रीनिवास

03. आशीष उर्फ आसू पुत्र श्रीनिवास

04. सौनी उर्फ प्रवीण पुत्र श्रीनिवास

निवासीगण पटवार घर के पास मास्टर कॉलोनी कस्बा बाडी थाना बाडी जिला धौलपुर।

05. जगदीश प्रसाद पुत्र राधाकिशन निवासी मौहल्ला बारहमासी पीपल के पास कस्बा बाडी थाना बाडी जिला धौलपुर।

— निगरानीकारान

— : विरुद्ध :—

01. राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, बाडी जिला धौलपुर।

02. रामनिवास पुत्र बुद्धाराम निवासी ग्राम लौड़पुरा हाल मौहल्ला स्टेशन रोड बसेडी थाना बसेडी जिला धौलपुर।

— गैरनिगरानीकारान

निगरानी विरूद्ध आक्षेपित प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 28.03.2022
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, बसेडी
पीठासीन अधिकारी श्री विजेन्द्र मीणा, आर.जे.एस.
एफआर सं. 47/17 एफआईआर सं. 426/17 थाना बसेडी
शीर्षक रामनिवास बनाम सरकार

उपस्थिति :—

1. श्री रामनिवास मित्तल, अधिवक्ता निगरानीकारान की ओर से।
2. अपर लोक अभियोजक, बाडी गैर निगरानीकार सं.01 की ओर से।
3. श्री शौकत अली, अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं.02 की ओर से।

—: आदेश :— **दिनांक : 18.03.2024**

1. निगरानीकारान श्रीनिवास, मुन्नीदेवी, आशीष उर्फ आसू, सौनी उर्फ प्रवीण व जगदीशप्रसाद की ओर से यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकारी ग्राम

न्यायालय, बसेडी द्वारा एफआर सं. 47/17 एफआईआर सं. 426/17 थाना बसेडी शीर्षक रामनिवास बनाम सरकार में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 28.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई थी जो नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि गैरनिगरानीकार सं.02/परिवादी रामनिवास ने एक इस्तगासा न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाडी के समक्ष अभियुक्तगण श्रीनिवास, मुन्नीदेवी, आशीष उर्फ आंसू, सौनू उर्फ प्रवीण व जगदीश के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 29.10.17 को सुबह करीब 08 बजे वह अपनी आराजी में पानी दे रहा था, क्योंकि उसने 02–03 दिन पूर्व ही अपने खेतों की जुताई की थी एवं पानी के लिए उसने अपने खेतों में करीब 700 फीट लेजम (पाइप लाइन) जो कि 02 टुकड़ों में थी, को भी डाल रखा था कि उसी समय अचानक समस्त मुलजिमान एक राय होकर अपने–अपने हाथों में लाठियां लेकर आये। उपरोक्त मुलजिमान के अलावा एक अन्य व्यक्ति और भी था, जो कि बिजौली की तरफ का रहने वाला है। आते ही समस्त मुलजिमान उसको गालियां देने लगे। मुलजिम सं.01 ने उससे कहा कि साले तूने खेतों पर से कब्जा क्यों नहीं छोड़ा है, आज तुझे जान से मारकर खेत में ही जिंदा घाडूंगा व कहने के साथ ही समस्त मुलजिमान उस पर टूट पड़े और बुरी तरह लात–घूंसों से खेत पर ही डालकर मारपीट की। दौराने मारपीट मौके पर विष्णु, पवन वगैरा आ गये जिन्होंने मौके पर बीच–बचाव कराया। मुलजिम मुन्नीदेवी ने जानबूझकर बराये बदनीयती खेत में पड़ी पाइप लाइन को अपने साथ लाये चाकू की सहायता से काट दिया, जिसे मुलजिम जगदीश, प्रवीण व आशीष लपेटकर चोरी की नीयत से मुलजिम सं.01 के कहने पर व उकसाने पर अपने साथ ले गये, जिससे उसको करीब 15,000/रूपये का नुकसान हो गया व चोरी गया पाइप लाइन आज भी मुलजिमान के कब्जे में है, जिसे बरामद किया जाना आवश्यक है..........आदि। उक्त इस्तगासा को धारा 156(3) सीआरपीसी में थाना बसेडी भेजने पर एफआईआर सं. 426/17 अंतर्गत धारा 323, 341, 504, 506, 379 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी ने बाद अनुसंधान प्रकरण में एफआर अदम बकू आमदन झूंठ में अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिससे व्यथित होकर परिवादी ने न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटीशन पेश किया तथा अपने समर्थन में स्वयं के बयान अंतर्गत धारा 200 सीआरपीसी में व गवाहान विष्णु तथा पवन शर्मा के बयान अंतर्गत धारा 202 सीआरपीसी में लेखबद्ध कराये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस एफआर सुनकर अभियुक्तगण श्रीनिवास, मुन्नीदेवी, आशीष उर्फ आसू, सोनू उर्फ प्रवीण व जगदीश के विरूद्ध अंतर्गत धारा 352, 379 भा.दं. सं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गवाहान को तलब किया गया।

3. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, बसेडी ने अपने उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 28.03.22 में यह निष्कर्षित किया है कि **''अतः उपरोक्त विवेचनानुसार श्रीनिवास, मुन्नीदेवी, आशीष उर्फ आसू, सोनू उर्फ प्रवीण व जगदीश के विरूद्ध धारा 352, 379 भा.दं. सं. में प्रसंज्ञान लिया जाता है। आदेश सुनाया गया। प्रकरण नियमित फौजदारी के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पुलिस थाना बसेडी की ओर से पेश एफआर अस्वीकार कर प्रोटेस्ट पिटीशन आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। परिवादी को हिदायत दी जाती है कि वो स्वयं प्रकरण में पैरवी करे तथा गवाह सूची पेश करे। एफआर नंबर से कम की जावे। धारा 204 सीआरपीसी की अनुपालना में मुलजिमान को जरिये सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते पेश होने धारा 204 सीआरपीसी की अनुपालना/तलबी मुलजिमान में दिनांक 11.04.2022 को पेश हो।''** जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्ताओं की ओर से यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी है।

4. विद्वान न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, बसेडी द्वारा पारित प्रसंज्ञान का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 28.03.2022 से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ताओं ने यह कहते हुए प्रस्तुत निगरानी संस्थित की कि परिवाद, नक्शामौका, प्रोटेस्ट पिटीशन, साक्ष्य धारा 161 सीआरपीसी, साक्ष्य धारा 200 व 202 सीआरपीसी में खसरा नंबर जिनमें परिवादी/गैर निगरानीकर्ता सं.02 धेवन कर रहा था अंकित नहीं है और न ही कोई जमाबंदी पेश की है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने अनुसंधान में खुले तौर पर जांच करने के बाद अपराध घटित होना नहीं माना था। परिवादी के अनुसार चार लोगों ने मारपीट की तो निश्चित ही चोट होगी जिसका मेडीकल मुआयना नहीं कराना अपराध घटित नहीं होना प्रथम दृष्टया साबित करता है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुए आलौच्य प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 28.03.22 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

5. निगरानीकारान के अधिवक्ता का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध एवं न्याय के विपरीत प्रसंज्ञान आदेश पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः निगरानीकारान ने आलौच्य प्रसंज्ञान आदेश अपास्त करने का निवेदन किया।

6. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक व गैर निगरानीकार सं.02 के अधिवक्ता ने उक्त तर्क का विरोध करते हुए कथन किया है कि न्यायालय द्वारा पारित किया गया प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 28.03.22 सही है एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के

आधार पर लिया गया जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। उक्त आदेश विधि, सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः निगरानीकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली एवं संबंधित विधि का अध्ययन किया। निगरानी का विचार करते हुए न्यायालय को न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, बसेडी के आक्षेपित आदेश की शुद्धता, वैधता एवं औचित्यता के बारे में परीक्षण करना है।

8. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा एफआर जिन आधारों पर अनुसंधान के पश्चात् प्रस्तुत की गयी है उसका कोई खण्डन प्रोटेस्ट पिटीशन एवं धारा 200 व 202 सीआरपीसी के बयानों से नहीं होता है। प्रोटेस्ट पिटीशन एवं धारा 200 व 202 सीआरपीसी के कथनों में इस्तगासा के तथ्यों को ही दोहराया है। ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं लाया गया जिससे यह प्रकट होता हो कि परिवादी एवं अभियुक्त के बीच संपत्ति का विवाद नहीं चल रहा हो अथवा तथाकथित स्वतंत्र गवाह पवन व विष्णु एफआईआर सं.391/17 में भी गवाह न हो।

9. इसके अतिरिक्त निगरानीकारान के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि परिवादी ने अपने परिवाद, प्रोटेस्ट पिटीशन, स्वयं के धारा 200 सीआरपीसी के बयान व गवाहान के धारा 202 सीआरपीसी के बयानों में जिस खेत में पानी देना बताया है, उस खेत का खसरा नंबर अंकित नहीं किया है और न ही जमाबंदी पेश की है एवं उस व्यक्ति के भी कोई बयान नहीं लिये गये जिसके खेत से पानी आ रहा था। उक्त व्यक्ति घटना के समय अवश्य मौजूद होगा। निगरानीकारान का यह भी तर्क रहा है कि वे गैर निगरानीकार सं.02 के खेत पर किस वाहन से गये थे और कैसे 700 मीटर पाइप को लेकर आये यह गैर निगरानीकार सं.02 ने परिवाद, प्रोटेस्ट पिटीशन, स्वयं के धारा 200 सीआरपीसी के बयान व गवाहान के धारा 202 सीआरपीसी नहीं बताया है। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

10. उक्त तर्कों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो यह सही है कि परिवादी ने अपने परिवाद, प्रोटेस्ट पिटीशन, स्वयं के धारा 200 सीआरपीसी के बयान व गवाहान के धारा 202 सीआरपीसी के बयानों में जिस खेत में पानी देना बताया है, उस खेत का खसरा नंबर अंकित नहीं किया है और न ही जमाबंदी पेश की है। ऐसा भी कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं लाया गया कि निगरानीकारान वक्त घटना मौके पर किस साधन से गये व घटना के पश्चात् पानी के पाइप को किस तरह लेकर आये, जबकि घटनास्थल

की दूरी निगरानीकारान के घर से लगभग 15 किमी. बतायी गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को भी नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया है, जो विधि अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

11. इस प्रकार प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व पूर्व वर्णित विधिक स्थिति के प्रकाश में आलौच्य आदेश को देखा जावे तो उक्त आलौच्य आदेश पूर्णतया मनमाना, अवैध व विधि के विपरीत होना प्रकट होता है। परिणामस्वरूप उक्त आलौच्य आदेश संवहनीय प्रतीत नहीं होता है।

12. परिणामस्वरूप निगरानीकारान श्रीनिवास व अन्य की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी विरूद्ध गैर निगरानीकारान राजस्थान राज्य व अन्य स्वीकार की जाती है तथा न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, बसेडी द्वारा एफआर सं.47/17, एफआईआर सं.426/17 थाना बसेडी में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 28.03.2022 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि पुनः सुनकर विधि अनुसार समुचित आदेश पारित करे।

13. आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ अविलम्ब भेजी जावे।

(नीरज कुमार)
अपर सैशन न्यायाधीश,
बाडी, जिला धौलपुर

14. यह आदेश आज दिनांक 18.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(नीरज कुमार)
अपर सैशन न्यायाधीश,
बाड़ी, जिला धौलपुर